भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**1154**

उत्तर देने की तारीख-08/**12**/2025

पीएम-श्री योजना के अंतर्गत निधि

1154. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क**)** देश में समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-श्री योजना के अंतर्गत **1** जनवरी**, 2023** से **10** नवंबर**, 2025** तक उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि जारी की गई**,** रोकी गई या विलंबित की गई है**;**

(ख**)** सरकार के पास उत्तर प्रदेश के नगीना लोक सभा संसदीय क्षेत्र में विद्यालयों के अवसंरचना या उन्नयन के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं और उन विद्यालयों के नाम क्या हैं**;**

(ग**)** क्या सरकार का सरकारी विद्यालयों के अवसंरचना में सुधार के लिए नगीना लोक सभा संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नई कक्षाओं के भवनों के निर्माण करने और जीर्ण-शीर्ण सरकारी विद्यालय भवनों की मरम्मत करने के लिए विशेष बजट आवंटित करने का विचार है**;** और

(घ**)** यदि हाँ**,** तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी**)**

(क**)** से **(**घ**):** समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के तहत देश में उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियों की राशि अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत**,** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। तत्पश्चात**,** इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। केंद्रीय भाग को जारी करना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने**,** पूर्व में जारी की गई निधि से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट**,** वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट**,** राज्य के अंशदान और योजना संबंधी मानदंडों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

****

अनुलग्नक-I

पीएम-श्री योजना के अंतर्गत निधि के संबंध में माननीय संसद सदस्य एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 08/12/2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **1154** के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

समग्र शिक्षा योजना के तहत दिनांक **1** जनवरी, **2023** से **24** नवंबर, **2025** तक जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
		जारी कुल केंद्रीय भाग	जारी कुल केंद्रीय भाग	जारी कुल केंद्रीय भाग	जारी कुल केंद्रीय भाग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.51	55.28	60.52	15.44
2	आंध्र प्रदेश	1503.59	1289.41	1240.11	698.72
3	अरुणाचल प्रदेश	252.29	475.03	575.85	311.04
4	असम	2080.86	1810.47	2026.77	1181.49
5	बिहार	3554.59	4241.73	4217.81	2564.90
6	चंडीगढ़	109.79	116.36	118.58	84.27
7	छत्तीसगढ	828.00	776.59	830.66	276.99
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	64.67	41.30	54.63	39.66
9	दिल्ली	221.94	146.09	385.39	121.81
10	गोवा	29.86	18.75	16.34	16.15
11	गुजरात	1321.25	1132.53	1245.54	524.36
12	हरियाणा	670.21	578.80	536.44	136.90
13	हिमाचल प्रदेश	551.60	485.97	526.20	177.68
14	जम्मू और कश्मीर	364.97	865.44	823.49	0.00
15	झारखंड	1154.52	1104.93	1074.44	269.21
16	कर्नाटक	861.52	828.09	868.30	517.70
17	केरल	178.16	141.66	0.00	92.41
18	लद्दाख	14.89	52.23	140.00	79.31
19	लक्षद्वीप	4.33	1.00	3.06	1.70
20	मध्य प्रदेश	1939.29	2981.51	3434.71	1460.76
21	महाराष्ट्र	900.00	1001.19	1126.25	323.00
22	मणिपुर	404.76	257.22	465.59	106.16
23	मेघालय	375.15	394.18	362.83	144.74
24	मिजोरम	142.68	274.14	216.52	43.26
25	नागालैंड	281.04	231.25	211.41	112.07
26	ओडिसा	1836.67	1236.61	1672.39	782.44
27	पुद्दुचेरी	15.28	12.47	12.46	4.37
28	पंजाब	605.05	331.12	678.13	346.59
29	राजस्थान	2138.61	3202.89	3090.65	578.93
30	सिक्किम	107.19	132.61	122.74	27.29
31	तमिलनाडु	2107.23	1876.16	0.00	450.60
32	तेलंगाना	1142.51	920.13	988.79	269.05
33	त्रिपुरा	286.73	341.33	420.03	142.82
34	उत्तर प्रदेश	3819.75	4276.45	6264.79	967.36
35	उत्तराखंड	704.39	440.57	646.78	125.23
36	पश्चिम बंगाल	1522.04	311.29	0.00	0.00

	कुल	32151.94	32382.79	34458.21	12994.38

पीएम श्री योजना के तहत दिनांक **1** जनवरी, **2023** से **10** नवंबर, **2025** तक जारी की गई नि ध का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ववरण इस प्रकार है:

(करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वत्त वर्ष **2023-24**	वत्त वर्ष **2024-25**	वत्त वर्ष **2025-26**
		जारी कुल केंद्रीय भाग	जारी कुल केंद्रीय भाग	जारी कुल केंद्रीय भाग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**1.56**	**2.83**	**1.33**
2	आंध्र प्रदेश	**106.46**	**294.12**	**0.001**
3	अरुणाचल प्रदेश	**4.21**	**33.87**	**1.19**
4	असम	**57.36**	**142.36**	**24.01**
5	बिहार	एनए	एनए	**0.00**
6	चंडीगढ़	**0.63**	**1.25**	**0.68**
7	छत्तीसगढ	**19.74**	**37.35**	**3.28**
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	**0.65**	**1.01**	**0**
9	गोवा	**3.25**	**4.64**	**0.08**
10	गुजरात	**32.94**	**63.58**	**7.63**
11	हरियाणा	**25.58**	**56.1**	**1.14**
12	हिमाचल प्रदेश	एनए	**135.35**	**6.38**
13	जम्मू और कश्मीर	**52.40**	**99.72**	**0.01**
14	झारखंड	एनए	**38.81**	**2.72**
15	कर्नाटक	**26.39**	**62.78**	**0**
16	लद्दाख	**4.04**	**11.91**	**9.16**
17	लक्षद्वीप	**1.09**	**0.72**	**1.42**
18	मध्य प्रदेश	**44.53**	**145.33**	**3.50**
19	महाराष्ट्र	**63.40**	**226.15**	**4.35**
20	म णपुर	**17.64**	**37.83**	**0**
21	मेघालय	**4.30**	**20.08**	**0.01**
22	मजोरम	**4.10**	**4.96**	**0**
23	नागालैंड	**0.98**	**5.44**	**0**
24	ओ डसा	एनए	**130.51**	**6.16**
25	पुद्दुचेरी	**2.06**	**3**	**0.0002**
26	पंजाब	एनए	**94.26**	**2.66**
27	राजस्थान	**24.59**	**118.69**	**1.55**
28	सक्किम	**10.18**	**15.11**	**2.16**
29	तेलंगाना	**59.80**	**342.09**	**5.29**
30	त्रिपुरा	**11.80**	**38.45**	**0.07**
31	उत्तर प्रदेश	**121.50**	**246.86**	**0.02**
32	उत्तराखंड	**57.42**	**58.6**	**2.44**
	कुल	**758.6**	**2473.76**	**87.24**

* एनए: राज्य में उपरोक्त वर्ष में योजना लागू नहीं की गई थी।

*****